दिनांक 07.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 419/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रायबरेली/थाना मिलएरिया

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 किलो 400 ग्राम के चोरी की सफेद धातु के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनांक 06/07.08.2026 को थाना मिलएरिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लोनियन का पुरवा शारदा नहर पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शिवकुमार 2–बबलू घायल हो गये, जिसे अभियुक्त 3–सागर 4–राकेश उर्फ छोटे 5–लवकुश सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 किलो 400 ग्राम के चोरी की सफेद धातु के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03/04.08.2026 की रात्रि थाना मिलएरिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मिलएरिया पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राकेश के विरूद्ध जनपद सीतापुर, हरदोई, खीरी, रायबरेली, अमेठी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग एवं अभियुक्त शिवकुमार के विरूद्ध जनपद सीतापुर, रायबरेली, अमेठी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मिलएरिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—शिवकुमार निवासी पेन्दरई थाना महोली जनपद सीतापुर।

2—बबलू निवासी पेन्दरई थाना महोली जनपद सीतापुर।

3—सागर निवासी लालपुर सिकडिहा थाना महोली जनपद सीतापुर।

4—राकेश उर्फ छोटे निवासी तेंदुआ थाना मितौली जनपद लखीमपुर, स्थाईपता पेन्दरई थाना महोली जनपद सीतापुर।

5—लवकुश निवासी लोनियन का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 12 किलो 400 ग्राम के चोरी की सफेद धातु के आभूषण।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार।

<u>जनपद देवरिया/थाना लार</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 06/07.08.2026 की रात्रि थाना लार व थाना भाटपाररानी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अजहर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भाटपाररानी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1— अजहर निवासी ग्राम मटियरा जगदीशपुर थाना लार जनपद देवरिया।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना बिधनू</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कुन्तल 41.05 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 06.08.2026 को थाना बिधनू व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ओशो आश्रम कठेरूआ के पास से अभियुक्त रोहित उर्फ लटकन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 कुन्तल 41.05 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कानपुर नगर के विभिन्न थानो में एनडीपीएस एक्ट आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बिधनू पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रोहित उर्फ लटकन निवासी ग्राम चकेरी रेलवे स्टेशन थाना चकेरी कमिश्नरेट कानपुर नगर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 कुन्तल 41.05 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—01 चार पहिया वाहन।

जनपद फिरोजाबाद/थाना दक्षिण

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **755 ग्राम अवैध चरस**
- **अवैध मादक पदार्थ ब्रिकी के 63 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 06.08.2026 की रात्रि थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–लक्ष्य 2–अनिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 755 ग्राम अवैध चरस, अवैध मादक पदार्थ ब्रिकी के 63 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना दक्षिण पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लक्ष्य निवासी घेर बोहरान गली थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

2–अनिल निवासी घेर बोहरान गली थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–755 ग्राम अवैध चरस।

2–अवैध मादक पदार्थ ब्रिकी के 63 हजार रूपये नगद।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना सेन पश्चिम पारा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **78 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **04 हजार 780 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 06.08.2026 को थाना सेन पश्चिम पारा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैजुपुरवा रेलवे अण्डरपास के पास से अभियुक्त शिवम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 78 किलोग्राम अवैध गांजा, 04 हजार 780 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कानपुर नगर के विभिन्न थानो में एनडीपीएस एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेन पश्चिम पारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम निवासी पपरेन्दा थाना चिल्ला जनपद बांदा, हालपता संजीव नगर थाना चकेरी कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1–78 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–04 हजार 780 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन।

3–01 चार पहिया वाहन।

- **जनपद मुरादाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ 37 लाख 39 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद मुरादाबाद पुलिस ने अभियुक्त 1–तौकीर पुत्र हाजी शब्बीर 2–तोहीद पुत्र तौकीर 3–तफतीश पुत्र तौफीक निवासीगण कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ 37 लाख 39 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद चित्रकूट/थाना मानिकपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 40–40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364/302/201/429 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–लखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन 2–भैरव उर्फ भैरो को आजीवन कारावास व 40–40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना सिघावली अहीर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना सिघावली अहीर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मनवीर 2–परविन्दर को आजीवन कारावास व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना शाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राशिद को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना मारकुण्डी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मारकुण्डी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जीवनलाल को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना बदोसराय (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना बदोसराय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त तीरथराम को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 58 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/363/506 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0अली को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 58 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना रामपुर मनिहारान (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना रामपुर मनिहारान पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार उर्फ छोटू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।